

E-mail

पत्रांक-21/रा0सू0आ0-06/2025, सा.प्र.14049/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक 03.08.26

विषय:- सूचना का अधिकार के तहत दाखिल प्रपत्र 'क' / लंबित प्रपत्र- 'क' की समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग- बिहार सूचना आयोग के वाद संख्या-A2487/19 में दिनांक-06.07.2026 को पारित आदेश ज्ञापांक-961, दिनांक-20.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक आदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश में विहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार के तहत दाखिल प्रपत्र 'क' / लंबित प्रपत्र- 'क' की समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने एवं अपीलार्थी को एक माह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने हेतु यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(मो0 आफाक अहमद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/रा0सू0आ0-06/2025, सा.प्र.14049/ पटना-15, दिनांक 03.08.26

प्रतिलिपि- बिहार सूचना आयोग के ज्ञापांक-961, दिनांक-20.07.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।



सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
23 JUL 2026
81020

बिहार सूचना आयोग
चौथा तल्ला, सूचना भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग(बेली रोड), बिहार, पटना-800015
दूरभाष-2200412, 2215713, 2235059, फ़ैक्स-2235466 / वेबसाइट-www.sic.bihar.gov.in

वाद सं०- A 2487/2019

श्री धनंजय कुमार झा

बनाम

अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-842001 / लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर-842001

06.07.2026

अपीलार्थी
लोक सूचना पदाधिकारी

अपीलार्थी वर्चुअल मोड से उपस्थित हैं।
श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
ए0डी0एस0ओ0, मुजफ्फरपुर एवं
तत्कालीन लोक सूचना
पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर संप्रति बंदोवस्त
पदाधिकारी उपस्थित हैं।

प्रपत्र-क दायर करने की तिथि

28.05.18

प्रथम अपील दायर करने की तिथि

21.06.18

विदित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को सशक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी है कि जो सूचना मांगी जा रही है, उसे ससमय उपलब्ध कराया जाय तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोक सूचना पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि वे पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा ज्ञापांक 1148 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रतिलिपि आयोग को दी गई है।

सुनवाई के क्रम में उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा अभिकथन किया गया कि उन्हें प्रपत्र-क के आलोक में मांगी गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वे संतुष्ट हैं। परंतु उपस्थित अपीलार्थी के द्वारा अनुरोध किया गया कि बिहार राज्य में जिला स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर हजारों की संख्या में प्रपत्र-क को जानबूझकर लंबित रखा जाता है तथा उसकी समीक्षात्मक बैठक जिला स्तर पर नहीं होने के कारण उसका निस्तारण ससमय नहीं हो पाता है, अतः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को इस आशय का पत्र प्रेषित करें कि माहवार सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिल प्रपत्र-क/लंबित प्रपत्र-क की समीक्षात्मक बैठक आयोजित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र-क के आलोक में मांगी गई सूचना एक माह के अंदर अपीलार्थी को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

अपीलार्थी के अभिकथन में तथ्य है तथा उनका यह अभिकथन व्यापक लोकहित में है। ऐसी स्थिति में इस आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की जाती है तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से बिहार राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को इस आशय का पत्र प्रेषित करें कि वे अपने जिले में नामित लोक सूचना पदाधिकारियों के

(नोट-“इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई-मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार्य किये जायेंगे।”)

3057/21
27.07.26

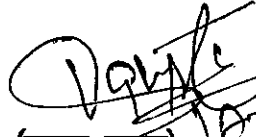
804257m0
(103)
साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिल प्रपत्र-क/लंबित प्रपत्र-क की माहवार समीक्षात्मक बैठक आयोजित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र-क के आलोक में संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना एक माह के अंदर अपीलार्थी को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय। इस आदेश की प्रति प्रभारी सचिव-सह-विधि पदाधिकारी, बिहार सूचना आयोग को भी प्रेषित की जाती है तथा उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से भी अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को उपरोक्त आशय का अनुरोध-पत्र यथाशीघ्र प्रेषित करें। इस आदेश के साथ अपील की कार्रवाई समाप्त की जाती है।"

ह०/-
(प्रकाश कुमार)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक सी०-४/१८१...../रा०सू०आ०पटना, दिनांक-२०-३-२०२६

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना/प्रभारी सचिव-सह-विधि पदाधिकारी, बिहार सूचना आयोग, पटना/बंदोवस्त पदाधिकारी, शिवहर-८४३३२९/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर-८४२००१/श्री धनंजय कुमार झा, ग्राम+पो०-गौरौल, जिला-वैशाली-८४४११८ मो०-९७०९९७६५४२ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नोट:- पक्षकार सुनवाई में वर्चुअल मोड से अथवा स्वयं उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। वर्चुअल मोड से सुनवाई में भाग लेने के लिए लिंक निम्न है:-sic.bihar.gov.in)


(करन गुप्ता)
प्रशाखा पदाधिकारी
१२/०३

(नोट-"इस वाद से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार/मंतव्य वाद संख्या सहित आयोग के इस हेतु आधिकारिक ई-मेल reply.bic@bihar.gov.in पर ही स्वीकार्य किये जायेंगे।")